पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

"मिशन शक्ति 5.0

महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया जागरूक।

दिनांक- 21.04.2026

थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा हनुमान मंदिर क्षेत्र थाना अलीगंज में महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत हनुमान मंदिर क्षेत्रान्तर्गत

प्रतिभाग-

- ✓ महिला उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ उपनिरीक्षक रवींद्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत हनुमान मंदिर क्षेत्रान्तर्गत महिलाओ एवं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 21.04.2026 को मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत नया हनुमान मंदिर चौकी क्षेत्र चांदगंज थाना अलीगंज में महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण किया।

बच्चों/महिलाओं को महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वलम्बन, साईबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति के तहत विभिन्न हेल्प लाईन नम्बर 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा, 102 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एंबुलेंस हेल्पलाइन 108 एंबुलेंस सेवा, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं up cop आदि के साथ महिलाओ को समर्पित सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूक किया गया।

"मिशन शक्ति 5.0 हमारे समाज के लिए एक सुदृढ़ और प्रगतिशील भविष्य की नींव रखने का प्रतीक है। यह मिशन ऐसे समाज के निर्माण के संकल्प को दर्शाता है, जहाँ हर बच्चा, विशेष रूप से बच्चियाँ, सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त होकर अपने सपनों का भविष्य गढ़ सकें। इसका उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके सफर में एक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाना है, ताकि वे हर चुनौती का सामना करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकें।"

उद्देश्य:

1. **जागरूकता का प्रसार:** महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना। इसमें नारी स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और 'गुड टच-बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
2. **मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचय कराना:** आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्ध सेवाओं (जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण) की जानकारी देना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका लाभ उठा सकें।
3. **हेल्पलाइन सेवाओं का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न आपातकालीन और सहायता सेवाओं (जैसे 1090, 181, 112, 1098, 1930 आदि) के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी पहुँचाना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
4. **सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** एक ऐसे सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना जहाँ महिलाएं और बच्चे बिना किसी भय के अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
5. **सामुदायिक सहभागिता:** एंटी-रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के माध्यम से सीधे तौर पर समुदाय तक पहुँचकर, सुरक्षा और जागरूकता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 21.04.2026

थाना सरोजनीनगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबर्स के संबंध में किया जागरूक।

थाना सरोजनीनगर की मिशन शक्ति टीम ने गौरीबाजार में 'मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, यूपी कॉप एप,गुड टच बैड टच पर दी विस्तृत जानकारी के साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और महिला शक्ति केंद्र के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना सरोजनीनगर मिशन शक्ति टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत **गौरी बाजार थाना सरोजनीनगर** में महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- म0उ0नि0 निर्देश राजपूत, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी सविता, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी सुनीता, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- गौरी बाजार थाना सरोजनीनगर में ।

प्रतिभाग-

- म0उ0नि0 निर्देश राजपूत, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी सविता, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी सुनीता, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- गौरी बाजार थाना सरोजनीनगर में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को थाना सरोजनीनगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा **गौरी बाजार थाना सरोजनीनगर में एक** विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा संवाद के दौरान महिलाओं को आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन नंबरों, जैसे 112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) एवं 181 (महिला हेल्पलाइन) के उपयोग और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और निडर बनने के लिए प्रेरित किया गया। यह पहल समाज में सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने और पुलिस व जनता के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

आयोजित 'मिशन शक्ति फेज 0.5' जागरूकता कार्यक्रम एक अत्यंत सराहनीय और प्रभावी पहल थी। इस कार्यक्रम ने निम्नलिखित बिंदुओं में सफलता प्राप्त की:

1. साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और बैंक धोखाधड़ी जैसे वर्तमान समय के प्रासंगिक खतरों के बारे में जागरूकता फैलाई गई।
2. केवल समस्याएं बताने के बजाय, उनसे बचने के लिए व्यावहारिक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
3. 1090, 112, 1930, 1098 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और सेवाओं से अवगत कराकर छात्राओं को आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने का विश्वास दिलाया गया।
4. यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की 'मिशन शक्ति' पहल के प्रमुख लक्ष्यों—विशेष रूप से महिला सुरक्षा, जागरूकता सृजन, साइबर सुरक्षा और सहायता तंत्र को मजबूत करने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुआ।
5. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।

यह जागरूकता सत्र न केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित रहने का ज्ञान प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि उन्हें कानूनी अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के प्रति सजग बनाकर उन्हें सशक्त भी बनाया। ऐसे प्रयास महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण की नींव रखते हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 21.04.2026

मिशन शक्ति 5.0 मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को सुरक्षा, अधिकार और हेल्पलाइन की जानकारी देकर सशक्त बनाया।

थाना जानकीपुरम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जानकीपुरम क्षेत्र में स्थित सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के स्कूली छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और आपातकालीन सहायता प्रणालियों के प्रति जागरूक करके गुड-बैड टच की समझ, साइबर अपराधों से बचाव तथा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 की यह पहल सामुदायिक पुलिसिंग और "सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण" के सिद्धांत पर आधारित एक मजबूत एवं सर्वांगीण कार्ययोजना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका मूल उद्देश्य न केवल कानून-व्यवस्था कायम रखना है, बल्कि एक सतत एवं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना है। यह पहल सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता फैलाकर, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाकर, तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, को सशक्त बनाकर एक सुरक्षित, जागरूक और स्वावलंबी नागरिक समाज के निर्माण की दिशा में एक मजबूत आधारशिला रख रही है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी वर्मा थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- मुख्य आरक्षी सर्वेश कुमार थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना जानकीपुरम क्षेत्र के सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लखनऊ

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी वर्मा थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- मुख्य आरक्षी सर्वेश कुमार थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना जानकीपुरम क्षेत्र के सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लखनऊ में

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति अपनी गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, दिनांक 21.04.2026 को थाना जानकीपुरम क्षेत्र के सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम में बच्चो और अभिभावको को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी "मिशन शक्ति 5.0" के तहत विस्तृत जानकारी प्रदान की।

महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया, साथ ही महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (सिटीजन कॉल सेंटर), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) आदि की जानकारी दी गई। छात्राओं को 'गुड टच' और 'बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षित किया गया तथा साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए गए। इस मिशन का समग्र उद्देश्य युवतियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक, आत्मविश्वासी और स्वावलंबी बनाना है, ताकि वे एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जी सकें तथा देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें।

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य -

1. महिला सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना: छात्राओं और अध्यापकों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की पहचान और उनसे सुरक्षा के उपायों के बारे में शिक्षित करना।
2. कानूनी अधिकारों से अवगत कराना: महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, ताकि वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें।
3. हेल्पलाइन सेवाओं से परिचित कराना: विभिन्न आपातकालीन सेवाओं जैसे 1090, 112, 181, 1930 आदि हेल्पलाइन नंबरों के प्रयोग और उनकी उपयोगिता के बारे में बताना, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद ली जा सके।
4. बाल सुरक्षा को बढ़ावा देना: बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' की समझ विकसित करके उन्हें यौन शोषण से बचाने के लिए जागरूक और सशक्त बनाना।
5. साइबर सुरक्षा की जानकारी देना: डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों, विशेष रूप से साइबर धोखाधड़ी और अपराधों से बचाव के उपायों से अवगत कराना।
6. महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन: लड़कियों को आत्मविश्वासी, सजग और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे समाज में सक्रिय और सम्मानजनक भूमिका निभा सकें।
7. सहायता केंद्रों से जोड़ना: महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र जैसी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता से अवगत कराना और इन तक पहुंच को सरल बनाना।

संक्षेप में, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा, अधिकारों और सहायता तंत्र की व्यापक जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और एक सुरक्षित माहौल निर्मित करने में योगदान देना था।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0- बढ़ चलें हैं एक साथ, मिशन शक्ति की ओर।

दिनांक- 21.04.2026

थाना तालकटोरा की टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं और बच्चो को अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर किया गया जागरुक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना तालकटोरा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला आरक्षी सत्यवती, पिंक बूथ 100 थाना तालकटोरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी रीता, पिंक बूथ 100 थाना तालकटोरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना तालकटोरा क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण होकर महिलाओं को किया जागरूक

प्रतिभाग-

- महिला आरक्षी सत्यवती, पिंक बूथ 100 थाना तालकटोरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी रीता, पिंक बूथ 100 थाना तालकटोरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना तालकटोरा क्षेत्र के अंतर्गत पिंक बूथ 100 थाना तालकटोरा द्वारा महिलाएं व बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.04.2026 को थाना तालकटोरा क्षेत्र के अंतर्गत द्वारा थाना तालकटोरा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर पिंक बूथ 100 द्वारा भ्रमणशील होकर करीब 20- 25 महिलाए व बच्चे। (महिलाओं और बच्चो) को अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर: उन्हें आपात स्थिति और सहायता के लिए सभी जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जैसे: 1090: महिला पावर लाइन (Women Power Line), 112: आपातकालीन सेवाएं (Emergency Services) 108: एम्बुलेंस सेवा (Ambulance Service), 1098: चाइल्डलाइन (Childline), 1076: टोल-फ्री हेल्पलाइन आदि।

मिशन शक्ति का उद्देश्य-

- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना।
- **सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन:** बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ काम करना।
- **शिक्षा और जागरूकता:** महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- **आर्थिक स्वतंत्रता:** महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे आत्मविश्वास से अपने निर्णय ले सकें।
- **कौशल विकास:** महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना ताकि वे रोजगार के लायक बन सकें।
- **कानूनी सलाह और सहायता:** महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी देना और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
- **सुरक्षा और समर्थन:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना और पीड़ितों को समर्थन देना।

संक्षेप में कहें तो, मिशन शक्ति का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ हर महिला सुरक्षित, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ जीवन जी सके तथा राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय और समान भागीदार बन सके। यह मिशन "नारी सशक्तिकरण" के विजन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

यह आयोजन महिला सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे।.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कस्बा माल थाना माल जनपद लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक – 21.04.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0का0 रानी थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ म0 पीआरडी मंजूलता थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गतग ग्राम कस्बा माल थाना माल जनपद लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- महिला आरक्षी रानी थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत ग्राम कस्बा माल थाना माल जनपद लखनऊ में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-648

दिनांक-21.04.2026

यातायात पुलिस लखनऊ

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 22.04.2026 को समय 15:00 बजे से मैच समाप्ति तक इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच के दृष्टिगत रोडवेज/सिटी बसे/ओला/ऊबर/निजी वाहन का डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगी-

रोडवेज बसें/प्राईवेट बसें व्यवसायिक वाहन-

- शहीद पथ पर मैच के दौरान रोडवेज व अन्य सभी बसें व व्यवसायिक वाहन (छोटे बड़े) प्रतिबन्धित रहेगी। अन्य वैकल्पिक मार्ग खुले होंगे, जिनका प्रयोग कर सकेंगे। निजी वाहनो एवं किराये की टैक्सी/कार आदि पर रोक नहीं होगी।
- सुल्तानपुर रोड पर उपरोक्त वाहन अमूल तिराहा से डायवर्ट होंगे एवं अर्जुनगंज कैण्ट की तरफ से आ रहे वाहन कटाई पुल से।
- रोजवेज की तरफ से निर्गत डायवर्जन प्लान प्राईवेट बसें भी सख्ती से पालन करेंगे।

सिटी बसे:-

- मैच के दौरान सिटी बसें चलेंगी, जो शहीद पथ पर हुसड़िया एवं सुशान्त गोल्फ सिटी के मध्य नही रूकेंगी एवं सड़क की दाईं ओर चलेंगी।

आटो/ई-रिक्शा:-

- ई-रिक्शा शहीद पथ पर प्रतिबन्धित है। ई-रिक्शा सर्विस रोड पर भी मैच के दिन प्रतिबन्धित रहेगा।
- इसी प्रकार आटो भी शहीद पथ पर प्रतिबन्धित रहेंगे।
- अर्जुनगंज की तरफ से आने वाली ई-रिक्शा/ऑटों अहिमामऊ से बायें मुड़कर पीएचक्यू, यूपी-112 , मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर सवारी उतारेंगे एवं पीएचक्यू के सामने से होते हुये जी-20 तिराहें से गोमतीनगर की तरफ जायेंगे।
- इसी प्रकार सुल्तानपुर रोड़ से आने वाले आटो/ई-रिक्शा बायें मुड़कर लूलू मॉल की तरफ जाकर सवारी उतारेंगे।
- किसी भी दशा में अहिमामऊ से 500 मी0 की परिधि में सवारी न उतारेंगे न बैठायेंगे।

ओला/ऊबर व अन्य किरायें के वाहन:-

- सिटी बस की तरह हुसड़िया से सुशान्त गोल्फ सिटी के बीच शहीद पथ पर सवारी न बैठायेंगे और न ही सवारी उतारेंगे।
- एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले वाहन अहिमामऊ से पहले सवारी उतारेंगे।
- अर्जुनगंज की तरफ से आने वाली वाहन अहिमामऊ से बायें मुड़कर पीएचक्यू , यूपी-112, मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर सवारी उतारेंगे एवं पीएचक्यू के सामने से होते हुए जी-20 तिराहे से गोमतीनगर के तरफ जायेंगे।

निजी वाहन:-

- जिन वाहन स्वामियों के पास वाहन पास होगा वह अहिमामऊ से एचसीएल की तरफ जाकर वाटर टैंक तिराहा से प्लासियों होते हुए चिन्हित पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।
- जिन वाहन स्वामियों के पास वाहन पास उपलब्ध नही है वह भी अहिमामऊ से एचसीएल होकर जायेंगे। उनमें से पहले आने वाले वाहन स्वामियों को प्लासियों मॉल में पार्किंग दिया जायेगा। प्लासियों मॉल की पार्किंग भर जाने के पश्चात वाटर टैंक तिराहे से एचसीएल के बीच पार्किंग होगी।

दो पहिया वाहन:-

- समस्त दो पहिया वाहन अहिमामऊ से एचसीएल तिराहा होते हुये प्लासियों माल के पीछे वाहन पार्क करेंगें।

अन्य:-

- वीवीआईपी/वीआईपी के साथ आने वाले स्कोर्ट स्टेडियम से वापस होकर मॉल अथवा पीएचक्यू के पीछे वाली सड़कों पर वाहन पार्क करेंगे। स्टेडियम के पास किसी भी दशा में वाहन पार्क न किया जाय।
- वाहनों का प्लासियों मॉल के सामने या स्टेडियम के सामने ईधर-ऊधर अवैध पार्किंग करने पर टोईंग एवं क्लैम्प लगाने की कार्यवाही की जायेगी।
- टिकट पर क्यूआर कोड दर्ज होगा जिसको स्कैन करने पर पार्किंग स्थलों का विवरण मैप सहित प्रदर्शित होगा।
- सुरक्षाकर्मी जो विशिष्ट अथवा अतिविशिष्ट दर्शकों के साथ आयेंगे , उन्हें अन्दर जाने की अनुमति नही होगी। पार्किंग क्षेत्र स्थापित रहेंगें। मात्र टिकट धारक ही विभिन्न प्रकार के स्टैण्ड में प्रवेश करेंगे।
- मैच प्रारम्भ होने के 03 घण्टे पूर्व प्रवेश दिया जायेगा। अंतिम प्रवेश दूसरी पारी के मध्य तक दिया जायेगा, फिर प्रवेश अनुमन्य़ नहीं होगा। स्टेडियम में दुबारा प्रवेश अनुमन्य नहीं है अर्थात मैच छोड़कर बाहर निकल जाने पर दोबार स्टेडियम में प्रवेश नही मिलेगा।
- पीएचक्यू, यूपी-112 मुख्यालय के पीछे की सड़क की तरफ अस्थाई पिक एण्ड ड्राप स्टैण्ड होगा, जहाँ निजी वाहन, ऑटो रिक्शा सवारी उतार सकेंगे, बैठा सकेंगे।
- कोई भी व्यक्ति बिना ड्यूटी कार्ड या टिकट के स्टेडियम के अन्दर प्रवेश नही करेगा, पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी एवं अनाधिकृत प्रवेश दण्डनीय अपराध होगा।
- सिक्का, ईयरफोन, ज्वलनशील पदार्थ आदि आईसीसी/वीसीसीआई के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
- स्टेडियम के आस पास रहने वाले लोगों से अपील है कि मैच देखने के लिये स्टेडियम की तरफ जायें अन्यथा अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। दर्शकों से अपील है कि 19:30 बजे से प्रारम्भ हो रहे मैच के लिये 18:00 बजे से 20:00 बजे तक का पीक आवर से बचते हुये उसके पूर्व अथवा बाद में आने का प्रयास करें।

यातायात पुलिस, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट-सं-650
दिनांक-21.04.2026

बाल संरक्षण एवं वन स्टॉप सेंटर सेवाओं पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

मुख्य बिंदु :

- पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को बाल संरक्षण एवं पीड़ित सहायता सेवाओं के प्रति किया गया प्रशिक्षित
- अपराध से पीड़ित बालकों को उपलब्ध सुविधाओं एवं समन्वय तंत्र पर दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण
- वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़िताओं को प्रदत्त सहायता की जानकारी साझा की गई
- विभिन्न विभागों के समन्वय से प्रभावी पुलिसिंग को बढ़ावा देने की पहल
- विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की गई
- प्रशिक्षण से संवेदनशील मामलों की विवेचना एवं पीड़ित सहायता प्रणाली में होगा सुधार

कार्यक्रम का आयोजन एवं कार्यस्थल :

यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** के प्रभावी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/ट्रेनिंग सेल) **सुश्री सौम्या पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.04.2026 को **रिजर्व पुलिस लाइन, लखनऊ स्थित संगोष्ठी सदन** में **"बाल संरक्षण एवं वन स्टॉप सेंटर सेवाओं"** के विषय पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य :

इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अपराध से पीड़ित बालकों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में पुलिस कर्मियों को जागरूक एवं दक्ष बनाना था।

इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना था कि पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को त्वरित, प्रभावी एवं संवेदनशील सहायता प्रदान की जा सके।

प्रतिभागिता एवं प्रशिक्षण व्यवस्था :

कार्यक्रम में कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से नामित 39 पुलिस अधिकारी/कर्मी प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सत्र विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया गया, जिसमें व्यवहारिक एवं तकनीकी दोनों पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।

विशेषज्ञ प्रशिक्षक द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण:

प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षक श्री सूर्यकांत चौरसिया, बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा किशोर न्याय (जेजे) एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में 39 प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण के दौरान बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) के कर्तव्यों एवं उनकी जिम्मेदारियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही, बाल अपचारी (Juvenile in Conflict with Law) के प्रति अपनाई जाने वाली विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया। इसके अतिरिक्त, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की भूमिका, कार्यप्रणाली एवं बाल संरक्षण में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। बाल अपचारी के मामलों में सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट (Social Background Report) की आवश्यकता, उसके निर्माण एवं उपयोगिता पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि अपराध से पीड़ित बालकों को पुलिस, बाल संरक्षण इकाइयों एवं अन्य विभागों के समन्वय से विभिन्न आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक एवं अस्थायी आश्रय जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनकी जानकारी एवं उपयोग सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रशिक्षण के प्रमुख विषय :

प्रशिक्षण के दौरान निम्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई—

- जेजे एक्ट के प्रावधानों एवं बाल संरक्षण तंत्र की दी गई विस्तृत जानकारी
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों पर विशेष मार्गदर्शन
- बाल अपचारी के प्रति विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया से कराया गया अवगत
- सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट के महत्व एवं तैयारी की दी गई जानकारी
- चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की भूमिका एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा
- वन स्टॉप सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की दी गई जानकारी

साथ ही यह भी बल दिया गया कि संवेदनशील मामलों में पुलिसकर्मी सहानुभूतिपूर्ण एवं जिम्मेदार व्यवहार अपनाएं।

व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं केस अध्ययन :

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न केस स्टडी एवं उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि समन्वित प्रयासों से पीड़ितों को बेहतर सहायता प्रदान की जा सकती है। प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

भविष्य की कार्ययोजना :

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी निरंतर किया जाता रहेगा, जिससे पुलिसिंग को अधिक संवेदनशील, प्रभावी एवं जनोन्मुख बनाया जा सके।

निष्कर्ष :

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इससे न केवल पीड़ितों को त्वरित एवं समुचित सहायता सुनिश्चित होगी, बल्कि पुलिस एवं अन्य विभागों के समन्वय से न्याय प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

"आपकी सुरक्षा, हमारी प्रतिबद्धता"

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-652
दिनांक 21.04.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- **थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.01.2026 को वादिनी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 19.02.2026 को वादिनी की पुत्री (नाबालिग) को घर पर दूध देने वाला लडका अखिलेश रावत अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 072/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम अखिलेश रावत पुत्र श्याम सुन्दर रावत नि0 रनियापुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

अपहृता/पीडिता की बरामदगी एवं व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से टीम गठित कर पुलिस सूचना तन्त्र के माध्यम से पीडिता को दिनांक 15.04.2026 को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के दौरान पीडिता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 65(1) बी0एन0एस व 5J(ii)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

विवचेना के क्रम में अभियुक्त अखिलेश रावत उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी कि दिनांक 20.04.2026 को समय करीब 20.35 बजे अभियुक्त अखिलेश रावत उर्फ अखिलेश कुमार पुत्र श्याम सुन्दर रावत नि0 रानीपुर थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र 21 वर्ष को बन्थरा से नियमानुसार गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1.अखिलेश रावत उर्फ अखिलेश कुमार पुत्र श्याम सुन्दर रावत नि0 रानीपुर थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र 21 वर्ष ।

03-अभियोग का विवरण –

1.मु0अ0सं0 72/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बी0एन0एस व 5J(ii)/6 पाक्सो एक्ट, थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ ।

04-अपराध का तरीका-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके द्वारा वर्षीय नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का अपराध कारित किया गया है।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अति0नि0 श्री उत्कर्ष त्रिपाठी, थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्रीगणेश कुमार, थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ ।
3. हे0का0 ब्रजेन्द्र कुमार, थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ ।